उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43/1975) की धारा 97 की उपधारा 1 तथा उपधारा 2 के खण्ड "ग" में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये (तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करके) उत्तर प्रदेश जल निगम अपने मिनिस्ट्रियल अधिष्ठान में पदों पर भर्ती और उन पर नियुक्त व्यक्तियों के वेतन एवं सेवा के शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं जो इससे पूर्व विनयोज्य सेवा नियमावली को अतिक्रमित करती है:-

" उत्तर प्रदेश जल निगम मिनिस्ट्रीरियल अधिष्ठान सेवा विनियमावली 1981 "

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

1- यह विनियमावली "उत्तर प्रदेश जल निगम 1981 मिनिस्ट्रीरियल अधिष्ठान सेवा विनियमावली 1981 कही जायेगी तथा तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

2- यह विनियमावली उत्तर प्रदेश जल निगम के मुख्यालय समवर्ग एवं क्षेत्रीय समवर्ग के निम्नलिखित पदों पर लागू होगी ।

क- मुख्यालय समवर्ग

पदनाम	वेतनक्रम
(1)- निजी सचिव (अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक)	500 - 1000
(2)- वैयक्तिक सहायक	500 - 750
(3)- वैयक्तिक सहायक (नान टैक्निकल)	500 - 750
(4)- पुस्तकालयाध्यक्ष	450 - 850
(5)- आशुलिपिक (सेलेक्शन ग्रेड)	400 - 600
(6)- अनुभाग अधिकारी/ प्रधान सहायक	450 - 700
(7)- मुख्य लिपिक	300 - 500
(8)- आशुलिपिक	300 - 500
(9)- वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक	280 - 460
(10)- कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक	230 - 385
(11)- सहायक लिपिक	200 - 320
(12)- लैब सहायक	200 - 320
(13)- टेलीफोन आपरेटर्स	230 - 385

क्रमशः .. 2/-

अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)
उ० प्र० जल निगम,
लखनऊ

EDP
Pl upload under head "Departmental Circular"
2012
CAMEHQ

परिवीक्षा

23-‡1‡ अधिष्ठान में नियमित पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियमित पद पर नियुक्ति के आदेश करने से पूर्व परन्तु ‡क‡ समवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष पद पर अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा पूर्णरूप से या उसका कुछ भाग परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के लिये ली जा सकती है जैसा निगम अनुज्ञा दे।

‡ख‡ नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को उस अवधि तक जो दो वर्ष से अधिक न हो बढ़ा सकता है। इस अवधि से अधिक अवधि के लिये परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने के लिये अध्यक्ष जल निगम की स्वीकृति आवश्यक होगी। परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने के आदेश में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि परिवीक्षा की अवधि किस तिथि तक बढ़ाई जाती है।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा के अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम-2 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाता है या जिसकी सेवायें समाप्त की जाती हैं किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(4) कार्यभारग्रहण तिथि- यदि कर्मचारी नियुक्ति आदेश में इंगित स्थान एवं निर्धारित तिथि तक किसी दिन पूर्वा में कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो उसकी सेवा उसी तिथि से मानी जायेगी परन्तु यदि कर्मचारी किसी दिन के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसकी सेवा कार्यभार ग्रहण तिथि से अगली तिथि से मानी जायेगी।

सेवा की समाप्ति

24‡1‡ मिनिस्टिरियल अधिष्ठान के नियमित कर्मचारी निगम की सेवा छोड़ने से पूर्व कम से कम तीन माह पूर्व लिखित रूप में त्याग-पत्र या तीन माह का वेतन, जैसा कि निगम एवं कर्मचारी के बीच में लिखित रूप अनुबन्धित किया गया हो, देंगे।

‡2‡ मिनिस्टिरियल अधिष्ठान के स्थाई कर्मचारियों की सेवायें निगम किसी भी समय तीन माह का लिखित नोटिस या नोटिस के बजाये तीन माह का वेतन देकर समाप्त कर सकता है, जैसा कि निगम एवं कर्मचारी के बीच अनुबन्धित किया गया हो।

क्रमशः 15/-

[signature]
मुख्य ... (प्रशासन)
उ० प्र० जल निगम,
लखनऊ

 (15)

स्थाई कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह का नोटिस या उसके बदले में एक माह का वेतन और भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।

(4) जब किसी कर्मचारी की सेवायें उसके दुराचरण के कारण उसे मिले दण्ड के कारण समाप्त हों या सेवा निवृत्ति की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण समाप्त की जायें तो उपरोक्त नोटिस या वेतन देने की आवश्यकता नहीं है।

त्याग पत्र की स्वीकृति 25- कर्मचारी का त्याग-पत्र यदि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो, प्रभावी नहीं होगा। सक्षम अधिकारी त्याग-पत्र को अस्वीकृत कर सकता है यदि

(1) कर्मचारी निगम की सेवा एक निश्चित अवधि तक करने हेतु बाध्य है और वह अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(2) यदि कर्मचारी ने निगम से कोई कर्जा लिया है और/या उसके ऊपर अन्य दायित्व हैं तो जब तक उनका भुगतान या दायित्व समाप्त नहीं हो जाते हैं।

(3) कोई अन्य लिखित पर्याप्त आधार।

स्थाईकरण 26- परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो, नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है तथा स्थायी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं।

ज्येष्ठता निर्धारण 27(1) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता नियमित रूप से सम्बन्धित पद श्रेणी में नियुक्ति की तिथि से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही तिथि को नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में दिये गये हों।

(2) यदि सेवा के किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा दो या उससे अधिक विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से की जाती है तो इस प्रकार से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित की जायेगी

(क) सेवा के एक ही श्रेणी के व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रखी जायेगी जो कि उक्त श्रेणी में उन्हें प्राप्त हुई हो।

(ख) यदि एक वर्ग से किसी श्रेणी के पदों पर दो या उससे अधिक व्यक्ति नियमित रूप से एक ही दिन नियुक्त किये जायें तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस योग्यता सूची के अनुसार जिसके आधार पर वे नियुक्त किये गये हैं, अवधारित की जायेगी। यदि कोई योग्यता सूची --

------16